रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2002/माघ 29, 1923

No. 25] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2002/MAGHA 29, 1923

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2002

सं. भा.आयु.परि-203(9)/2001/विनि.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** - (1) ये विनियम, स्क्रीनिंग परीक्षा विनियम, 2002 कहे जाएंगे ।

(2) ये भारत के यराजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**:- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956(1956 का 102:)

(ख) 'परिषद' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिषद;

(ग) 'स्थायी पंजीकरण' से अभिप्रेत है प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता अर्जित करने और तदनुसार अधिनियम के उपबंधों में यथा विहित भारत में या फिर विदेश में व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में नाम-पंजीयन हेतु पंजीकरण ;

(घ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत बनाए विनियमों में विहित ;

(ङ) 'विहित प्राधिकारी' से अभिप्रेत है स्क्रीनिंग परीक्षा करने के लिए भारत सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान प्राधिकृत आयुर्विज्ञान संस्थान या अन्य कोई परीक्षा निकाय ;

(च) 'प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता' से अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान की गयी आयुर्विज्ञान अर्हता जो उस देश में आयुर्विज्ञान व्यवसायी के नाम-पंजीयन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता है जिस देश में अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है और अर्हता भारत में एम.बी.बी.एस. अर्हता के समतुल्य है ।

(छ) 'अर्हक परीक्षा' से अभिप्रेत है वह परीक्षा जो भारत में एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम,1997 में विहित है ।

(ज) 'पंजीकरण' से अभिप्रेत है अनन्तिम अथवा स्थायी पंजीकरण ।

3. भारत का नागरिक जो भारत के बाहर के किसी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता रखता है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा किसी अन्य राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में 15 मार्च,2002 को या इसके पश्चात अनन्तिम/स्थायी पंजीकरण करवाने का इच्छुक है उसे अधिनियम की धारा 13 में किए गये उपबंध के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

और यह कि यदि व्यक्ति, स्थायी पंजीकरण करवाना चाहता है और उसने अनन्तिम पंजीकरण करवाने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है तो उसे स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी होगी ।

4. पात्रता मानदंड :- किसी भी व्यक्ति को स्क्रीनिंग परीक्षा में तभी बैठने दिया जाएगा जबकि वहः

1) भारत का नागरिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड डॉयरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल में प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता का नाम या ऐसी अर्हता प्रदान करने वाले संस्थान का नाम इसमें शामिल हो या फिर संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा पुष्टि की गयी हो कि जिस देश में अर्हता प्रदान करने वाल संस्थान स्थित है, वहां अर्हता, आयुर्विज्ञान व्यवसायी के रूप नाम-पंजीयन के लिए मान्यता प्राप्त है ।

2) उसने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से, विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पत्रता अपेक्षा विनियम 2002 के अनुसार, पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है । जिस भारतीय नागरिक ने 15.3.2002 से पूर्व, विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान से आयुर्विज्ञान अर्हता प्राप्त की है या फिर विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश लिया है, उनके लिए यह अपेक्षा अनिवार्य नहीं है ।

5. स्क्रीनिंग परीक्षा, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण की पात्रता अवधारित करने व अन्यथा के उद्देश्य से ली जाएगी और इसमें उत्तीर्ण होना, किसी तरह से भी, अभ्यर्थी को अन्य कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा ।

6. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, समय-समय पर स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए योजना व पाठ्यक्रम के विवरण निर्धारित करेगी और अभ्यर्थियों की सूचना के लिए इनका आख्यापन करेगी ।

7. विहित प्राधिकारी द्वारा आख्यापन किए अनुसार वर्ष में दो बार स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी । इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जारी योजना के अनुसार ही परीक्षा-आयोजन की प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

8. प्री-क्लीनिकल, परा-क्लीनिकल, क्लीनिकल मेडिसिन जिसमें प्रसूति व स्त्री रोग भी शामिल होंगे, तीन पेपर होंगे जिनमें बहुविकल्प प्रश्न होंगे । परीक्षा अंगरेजी में होगी । परीक्षा में, प्रत्येक पेपर की अवधि, तीन घंटे होगी ।

9. अभ्यर्थी को तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब उसने अलग-अलग, प्रत्येक पेपर में 50 प्रतिशत(पचास प्रतिशत) अंक प्राप्त किए हों । न्यूनतम अर्हक अंक सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, बिना किसी अपवाद के, समान रूप से लागू होंगे ।

10. एक अभ्यर्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए इसमें अधिकतम तीन बार ही बैठ सकता है । यदि अभ्यर्थी तीसरे अवसर पर भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण कराने का पात्र नहीं होगा ।

11. विहित प्राधिकारी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद व राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के सचिव को परीक्षा परिणाम सूचित करेगा । असफल रहे अभ्यर्थियों को भी समुचित रूप से सूचित किया जाएगा । जो अभ्यर्थी, स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या किसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद को अनन्तिम/स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे और इसके साथ, निर्धारित पंजीकरण शुल्क भी सचिव,भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद के नाम भेजेंगे । ,भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राज्य आयुर्विज्ञान परिषद यथास्थिति, उसे सफल अभ्यर्थियों का अनन्तिम पंजीकरण करेंगी जिन्होंने किसी अनुमोदित संस्थान में अभी एक वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करनी है और जो एक वर्ष की इंटर्नशिप पूरी चुके हैं उनका स्थायी पंजीकरण करेंगी ।

डॉ. एम. सचदेवा, सचिव

[विज्ञापन III/IV/100/2001/असा.]

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2002

No. MCI-203(9)/2001/Regn.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement – (1) These regulations may be called the Screening Test Regulations, 2002.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Indian Medical Council Act,1956 (102 of 1956);
   (b) "Council" means the Medical Council of India constituted under section 3 of the Act;
   (c) "Permanent Registration" means registration for the purpose of enrolment on any State Medical Register or Indian Medical Register after obtaining the Primary Medical qualification followed by completion of such practical training as prescribed either in India or abroad as per the provisions of the Act;
   (d) "Prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;
   (e) "Prescribed Authority" means a medical institution or any other examining body authorized by the Central Government/Medical Council of India to conduct Screening Test.
   (f) "Primary Medical qualification" means a medical qualification awarded by any medical institution outside India which is a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated and which is equivalent to MBBS in India;
   (g) "Provisional Registration" means provisional registration in a State Medical Register or Indian Medical Register for the purpose of undergoing practical training in India as

prescribed and for no other purpose by an Indian citizen possessing any primary medical qualification but has not undergone such practical training after obtaining that qualification as may be required by the rules or regulations in force in the country granting the qualification;

(h) "qualifying examination" means the examination to be qualified to become eligible for admission to MBBS course in India as prescribed in the Graduate Medical Education Regulations, 1997.

(i) "registration" means either Provisional Registration or Permanent Registration.

3.. An Indian citizen possessing a primary medical qualification awarded by any medical institution outside India who is desirous of getting provisional or permanent registration with the Medical Council of India or any State Medical Council on or after 15.03.2002 shall have to qualify a screening test conducted by the prescribed authority for that purpose as per the provisions of section 13 of the Act:

Provided that a person seeking permanent registration shall not have to qualify the screening test if he/she had already qualified the same before getting his/her provisional registration.

4. **Eligibility Criteria:** No person shall be allowed to appear in the screening test unless:

(1) he/she is a citizen of India and possesses any primary medical qualification, either whose name and the institution awarding it are included in the World Directory of Medical Schools, published by the World Health Organisation; or which is confirmed by the Indian Embassy concerned to be a recognised qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated;

(2) he/she had obtained 'Eligibility Certificate' from the Medical Council of India as per the 'Eligibility Requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002'. This requirement shall not be necessary in respect of Indian citizens who have acquired the medical qualifications from foreign medical institutions or have obtained admission in foreign medical institution before 15th March, 2002.

5. The purpose of conducting the screening test shall be only to determine the eligibility or otherwise of a candidate for his or her registration with the Medical Council of India or any State Medical Council and qualifying the same shall not confer any other right, whatsoever, on a candidate.

6. The details regarding the Scheme for conducting the screening test and the syllabus of the test shall be announced by the Medical Council of India from time to time for the information of the candidates.

7. The screening test shall be conducted twice every year as per the Schedule of examination announced by the Prescribed Authority. The procedure of conducting the test shall be in accordance with the Scheme announced by the Medical Council of India in this regard.

8. There shall be three papers of multiple choice questions in Pre-Clinical, Para-Clinical and Clinical Medicine and its allied subjects including Obstetrics and Gynaecology. The language of the test shall be English. The test for each paper will be of three hours duration.

9. A candidate shall be declared as having passed only if he/she obtains a minimum of 50% (fifty percent) marks in each paper separately. The minimum qualifying marks shall apply to all categories of candidates without exception.

10. A candidate may avail of maximum three chances to appear and pass the test. Actual appearance at the test will constitute an attempt. If he/she does not qualify even in his/her 3rd appearance in the test, the candidate will not be eligible for registration by the Council or by any State Medical Council in India.

11. The Prescribed Authority shall intimate the result of the Screening Test to the candidates as well as to the Secretary, Medical Council of India and the State Medical Councils. The unsuccessful candidates shall also be appropriately informed. The candidates who qualify the Screening Test may apply to the Secretary, Medical Council of India, New Delhi or to any State Medical Council for provisional registration/permanent registration alongwith the requisite registration fee in favour of Secretary, Medical Council of India or the State Medical Council. The Medical Council of India or the State Medical Councils shall issue provisional registration to such successful candidates, who are yet to undergo one year internship in an approved institution and issue permanent registration to such eligible candidates who have already undergone one year internship, as the case may be.

Dr. M. SACHDEVA, Secy.
[ADVT III/IV/100/2001/Exty.]

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2002

सं. भा.आयु.परि-203(9)/2001/विनि.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) ये विनियम, विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता अपेक्षा विनियम, 2002 कहे जाएंगे ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956(1956 का 102);

(ख) 'परिषद' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिषद;

(ग) 'स्थायी पंजीकरण' से अभिप्रेत है प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता अर्जित करने और तदनुसार अधिनियम के उपबंधों में यथा-विहित, भारत में या फिर विदेश में, व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में नाम-पंजीयन हेतु पंजीकरण ;

(घ) 'प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता' से अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदान का आयुर्विज्ञान अर्हता जो उस देश में, आयुर्विज्ञान व्यवसायी के नाम-पंजीयन के लिए, मान्यता प्राप्त अर्हता है जिस देश में अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है और अर्हता, भारत में एम.बी.बी.एस. अर्हता के समतुल्य है ।

(ङ) 'अनन्तिम पंजीकरण' से अभिप्रेत है राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में अनन्तिम पंजीकरण, भारत में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण के आशय से किया जाएगा न कि अन्य किसी उद्देश्य से, यदि किसी भारतीय नागरिक ने कोई प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान शिक्षा ग्रहण की है लेकिन आयुर्विज्ञान शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उस देश में, जिसने अर्हता प्रदान की है, प्रवृत्त नियमों व विनियमों में अर्हता अर्जित करने हेतु अपेक्षित, व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है ।

(च) 'अर्हक परीक्षा' से अभिप्रेत है वह परीक्षा जो भारत में एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम,1997 में विहित है ।

3. एक भारतीय नागरिक जिसने भारत में या विदेश में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है और किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में 15 मार्च,2002 को या उसके पश्चात स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की इच्छा रखता है वह, परिषद को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करेगा ।

4. अभ्यर्थी परिषद द्वारा विहित किए गये प्रोफार्मा में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करेगा जिसके साथ अर्हक परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र/अंकतालिका(फोटोस्टेट प्रतिलिपि सहित) भी प्रस्तुत करनी होगी । मूल प्रमाण पत्र, परिषद द्वारा रखी जाने वाली फोटो प्रतिलिपि का सत्यापन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी को लौटा दिया जाएगा । इसके साथ निर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा जो सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के नाम आहरित होगा । शुल्क, परिषद नियत करेगी ।

5. अभ्यर्थी द्वार आवेदन में प्रस्तुत की गयी सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए परिषद स्वतंत्र होगी और/ या फिर इस बारे में और सूचना मंगवा सकेगी । यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना जांच के दौरान या बाद में गलत या झूठी पायी जाती है तो परिषद पात्रता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर सकती है और यदि ऐसा प्रमाण पत्र पहले जारी किया जा चुका है तो उसे रद्द कर सकती है और अभ्यर्थी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम,1956 की धारा 13 की उप धारा(4क) में विहित स्क्रीनिंग परीक्षा में उपस्थित होने से वारित हो जाएगा । इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा ।

6. यदि अर्हक परीक्षा के प्रमाण पत्र में जन्म-तिथि अंकित नहीं है तब अभ्यर्थी को जन्म-तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करेगा ।

8. परिषद पात्रता प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार करेगी और परिषद विनियमों के अनुसार निम्न विवरण का सत्यापन करेगी :

i) क्या अभ्यर्थी परिषद द्वारा विहित आयु-मानदण्ड पूरा करता है ?

ii) क्या अभ्यर्थी भारत में, एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम 1997 में यथाविहित पात्रता मानदण्ड पूरा करता है :यथा - भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अंगरेजी में न्यूनतम अंक होना और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में भी ढील के मानदंड अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों ?

iii) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिवर्ग से सम्बद्ध है तो उसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ?

9. सत्यापन के पश्चात, यथा अपेक्षित, यदि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड पूरा करता है, परिषद विहित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगी कि वह भारत के बाहर प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता प्राप्त करने हेतु आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश पाने का पात्र है । प्रमाण पत्र में उल्लेख होगा कि विदेश से प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अर्हता अर्जित करने के पश्चात लौटने पर, अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा देनी होगी जो स्क्रीनिंग परीक्षा

विनियम,2002 में विहित शर्तों को पूरा करने पर दी जा सकती है । और यह कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों में अनन्तिम/स्थायी पंजीकरण का हकदार हो सकेगा ।

10. यदि अभ्यर्थी, किसी अर्हक मानदंड को पूरा नहीं करता है तो परिषद, पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिया गया आवेदन कारण बताते हुए रद्द कर सकती है ।

11. अभ्यर्थी को जारी पात्रता प्रमाण पत्र, उसे किसी प्रकार से भी, विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के सिवाय अन्य किसी अधिकार का हकदार नहीं बनाएगा ।

डॉ. एम. सचदेवा, सचिव

[विज्ञापन III/IV/100/2001/असा.]

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2002

No. MCI-203(9)/2001/Regn.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement – (1) These regulations may be called the Eligibility Requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002**

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. <u>Definitions</u>:- In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

   (b) "Council" means the Medical Council of India constituted under section 3 of the Act;

   (c) "Permanent Registration" means registration for the purpose of enrolment on any State Medical Register or Indian Medical Register after obtaining the Primary Medical qualification followed by completion of such practical training as prescribed either in India or abroad as per the provisions of the Act;

   (d) "Primary Medical qualification" means a medical qualification awarded by any medical institution outside India which is a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated and which is equivalent to MBBS in India;

(e) "Provisional Registration" means provisional registration in a State Medical Register or Indian Medical Register for the purpose of undergoing practical training in India as prescribed and for no other purpose by an Indian citizen possessing any primary medical qualification but has not undergone such practical training after obtaining that qualification as may be required by the rules or regulations in force in the country granting the qualification;

(f) "qualifying examination" means the examination to be qualified to become eligible for admission to MBBS course in India as prescribed in the Graduate Medical Education Regulations, 1997.

3. An Indian citizen, who has passed the qualifying examination either from India or an equivalent examination from abroad and is desirous of joining an undergraduate medical course in any foreign medical institution on or after 15th March, 2002 shall approach the Council for issue of an Eligibility Certificate for that purpose.

4. The request for issue of Eligibility Certificate shall be made by the candidate in the proforma prescribed by the Council and shall be accompanied by the original certificate/mark-sheet (alongwith Photostat copy) of the qualifying examination. The original certificate shall be returned to the candidate after verifying the same with the photostat copy which shall be retained by the Council. Request shall also be accompanied by a Demand Draft for the specified sum in favour of Secretary, Medical Council of India, New Delhi. The fee shall be fixed by the Council.

5. The Council shall be free to investigate on its own into the correctness of information furnished by the candidate in his/her application and/or call for any further information in this regard from the candidate and in the event of any information furnished by the candidate being found to be incorrect or false during such investigation or at any subsequent stage, the Council may refuse to issue the eligibility certificate or if already issued may cancel the same and he/she shall stand debarred from appearing in the screening test prescribed in sub-section (4A) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 without any notice. The decision of the Council in this regard shall be final.

6. The candidate shall also produce a certificate of his/her date of birth if it is not recorded in the certificate of the qualifying examination.

7. A candidate belonging to Scheduled Caste/Schedule Tribe/Other Backward Class shall produce a caste certificate issued by Competent Authority.

8. The Council shall consider the application for Eligibility Certificate and verify the following details as per the Regulations of the Council –

(i) Whether the candidate fulfills the age criterion prescribed by the Council?

(ii) Whether the candidate fulfills the eligibility criteria for admission to MBBS course in India as prescribed in the Graduate Medical Education Regulations, 1997, i.e., minimum qualifying marks criteria in Physics, Chemistry, Biology and English, including relaxed criteria in case the candidate belongs to a reserved category?

(iii) If the candidate belongs to SC/ST/OBC, whether he/she has produced a caste certificate from a Competent Authority?

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2002/फाल्गुन 6, 1923
No. 30] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2002/PHALGUNA 6, 1923

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2002

सं. भा. आयु. परि. 203(9)/2001/विनि.—भारत के असाधारण राजपत्र निर्गम भाग III, खण्ड-4, दिनांक 18 फरवरी, 2002 (सं. 25) जो विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता अपेक्षा विनियम, 2002 से संबंधित है, में :

पृष्ठ 5 में शीर्ष "**प्रारूप अधिसूचना**" के स्थान पर "**अधिसूचना**" पढ़ा जाए।

डॉ. एम. सचदेवा, सचिव

[सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/100/2001]

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd February, 2002

No. MCI-203(9)/2001-Regn.—In the Gazette of India—Extraordinary Issue-Part III, Section 4 dated the 18th February, 2002 (No. 25) relating to Eligibility Requirement for taking admission in an undergraduate medical course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002—

In page 7 for the heading "Draft Notification" -*read* "Notification".

DR. M. SACHDEVA, Secy.

[No. ADVT-III/IV/Exty./100/2001]

610 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

9. After verification, as required, if the candidate is found to fulfill the eligibility criteria, the Council shall issue an Eligibility Certificate in the prescribed format to the candidate certifying that he/she is eligible to join a medical institution outside India to obtain a primary medical qualification. The certificate shall indicate that on return after obtaining the foreign primary medical qualification, the candidate shall have to undergo a screening test, subject to fulfillment of the conditions prescribed in the Screening Test Regulations, 2002, and that passing this test shall only entitle him to provisional/permanent registration by the Medical Council of India or the State Medical Councils.

10. In case the candidate does not fulfill any of the qualifying criteria the Council may reject his application for issue of Eligibility Certificate giving the reasons therefor.

11. The issue of a eligibility certificate to a candidate shall not entitle him to any right, whatsoever, other than to take admission in an undergraduate medical course in a foreign medical institute.

Dr. M. SACHDEVA, Secy.
[ADVT III/IV/100/2001/Exty.]

547 GI/2002—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003

REGISTERED No. DL—33001/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 2003 (आषाढ़ 7, 1925)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 2003 (ASADHA 7, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 17 जून 2003

सं. एसबीडी क्र. 2/2003--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक डा. सुशीला राव के स्थान पर श्री एस. सूर्यनारायन, हाउस नं. 1-11-212/3, फ्लैट नं. 102, लेन नं. 2, स्ट्रीट नं. 4, गुरुमूर्ति लेन, अन्नपूर्णा प्रभात कुसुम काम्प्लेक्स, प्रकाश नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500 016 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 जून 2003 से 19 जून 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ए. के. पुरवार

अध्यक्ष

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi the ...., 2003

1. No. MCI- - In exercise of the powers conferred by section 20A, read with section 33, of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Screening Test Regulations, 2002, namely:-

1. (a) These Regulations may be called the Screening Test (Amendment) Regulations, 2003.

   (b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Screening Test Regulations, 2002, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely:-

"10. A candidate shall have to pass all the three papers in the same attempt. However there shall not be any restriction on the number of attempts to appear in the test."

Lt. Col. (Dr.) A.R.N. Setalvad (Retd.)
Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003